न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 33/2019 (जीसीएमएस नम्बर 2019/00088)

1. बत्तीलाल पुत्र मदन
2. गिर्राज पुत्र धनसी
3. रामखिलाडी पुत्र रामधन
4. अमरसिंह पुत्र चिम्मन
5. सीताराम पुत्र श्रीचन्द
6. भरोसी उर्फ रामभरोसी पुत्र सुखराम
   समस्त जाति मीना निवासी समलेटी तहसील महवा जिला दौसा।

— अपीलान्ट

बनाम

1. खिल्ली पुत्र हरी
2. कन्हैया पुत्र बद्री
3. शिवराम पुत्र बद्री
4. रामअवतार पुत्र जनसी
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र दत्तक पुत्र शिवलाल
6. रामनारायण पुत्र हरगोविन्द
7. भगवानसहाय पुत्र हरगोविन्द
8. विश्राम पुत्र किशनलाल
9. हंसो देवी पत्नि नत्थूराम
10. केसर देवी पत्नि खिल्ली राम
    समस्त जाति मीना निवासी समलेटी तहसील महवा जिला दौसा।
11. राजस्थान राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महवा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महुवा, जिला दौसा दिनांक 07.01.2010 जो मुकदमा नंबर 62/2009 उनवानी खिल्ली बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री प्रदीप कुमार विजय, वकील अपीलान्ट।
2. श्री अशोक कुमार जोशी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 10 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5, 8, एवं 11 बाद तामील अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 6, 7 एवं 9 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक–22.04.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी महुवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 07.01.2010 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 13.08.2019 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 3, 5 से 10 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महुवा जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत् दुरूस्ती कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 773 रकबा 0.22 ऐयर, ख.नं. 774 रकबा 0.14 ऐयर, ख.नं. 775 रकबा 0.14 ऐयर, ख.नं. 776 रकबा 0.25 ऐयर, ख.नं. 777 रकबा 0.28 ऐयर, ख.नं. 772 रकबा 0.07 ऐयर, कुल किता 6 रकबा 1.10 हैक्टेयर वाके ग्राम समलेटी तहसील महवा जिला दौसा में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। जो पेशशुदा मौजूदा जमाबन्दी व ट्रेस से स्पष्ट है उक्त आराजीयात का साबिक ख.नं. सैटिलमेन्ट से पूर्व 199 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा था। आराजीयात के लगेवा ही सडक की ओर ख0नं0 771 है जो साबिक ख0नं0 771 है जो साबिक खं0नं0 198 से बना है जो भी प्रार्थी खिल्ली पुत्र हरी के खातेदारी व कब्जे का है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

सैटिलमेन्ट से पूर्व ट्रेस बिल्कुल स्पष्ट व समानान्तर था महवा तहसील में कुछ वर्ष पूर्व भूमियों का सेटिलमेन्ट हुआ था जिसमें ख0नं0 199 को जाने का रास्ता ट्रेस में उत्तरी कोने पर उपर दर्शाया हुआ था, जो नये ट्रेस में सैटिलमेन्ट वालों ने गायब कर दिया तथा ख0नं0 198 साबिक के नीचे करीब एक गट्ठा चौडा रास्ता नेशनल हाइवे से ख0नं0 198 के कोने तक आकर ब्लॉक था वहां 2 गह पाटोर पोश प्रार्थी नं. 1 की चढी हुई है फिर भी नये ट्रेस में ख0नं0 773 में पश्चिमी कोने तक रास्ता बढाकर दर्शा दिया है। तथा पूर्व रास्ते को प्रार्थीगण के खेत ख0नं0 771 व 773 की सीमा में घुसाकर दर्शा दिया है। तथा ख0नं0 772 की स्थिति बदल कर ख0नं0 771 में दर्शा दी है जो कतई गलत है। पूर्व ट्रेस ख0नं0 198 व 199 के मुताबिक नया ट्रेस बिलकुल भिन्नता लिये है। जो साबिक व मौजूदा ट्रेसों से स्पष्ट है नये ट्रेस के मुताबिक प्रार्थीगण के खेतों का रकबा व सीमा कम पड रही है जबकि मौके पर भूमियां की स्थिति यथावत है महज ट्रेस में ही गडबडी है। रास्ता प्रार्थीगण के खेतों के सटेवा नीचे था, रास्ते को खेतों में दर्शा दिया है। कानूनन भी सैटिलमेन्ट कर्मचारियों को किसी खातेदार की खातेदारी व ट्रेस में बिना खातेदार की सुनवाई नोटिस के, व जांच किये बिना तथा किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना परिवर्तन करने का अधिकार नही है। उन्होनें मनमाने तरीके से बिना जांच किये उक्त परिवर्तन किये है। जो कानूनी तौर पर गलत है। तथा काश्तकारों में भ्रम व विवाद पैदा कर सकता है। जिसे दुरूस्त फरमाया जाना जरूरी है। अतः प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती अर्न्तगत धारा 136 लै0रे0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि आ0ख0नं0 772, 773, 774, 775, 776, 777 वाके ग्राम समलेटी का मौजूदा (वर्तमान) ट्रेस साबिक ट्रेस ख0नं0 198, 199 के मुताबिक यथावत पूर्व की भांति दुरूस्त करने के अप्रार्थी तहसीलदार जी महवा को आदेश प्रदान करें। तथा दुरूस्ती हेतु तहरीर जारी फरमाने की कृपा करें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार करते हुये ग्राम समलेटी तहसील महवा की भूमि गत खसरा नम्बर 198 व 199 के ट्रेस को दुरूस्त करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2010 पारित किये गये है।

3. उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 07.01.2010 से व्यथित होकर अपीलान्ट बत्तीलाल पुत्र मदन वगै0 ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा दिनांक 07.01.2010 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवंक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रभावित पक्षकारान को पक्षकार बनाये बिना व सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना उक्त निर्णय पारित किया है। कानूनन सेटलमेन्ट बंद होने के बाद धारा 136 एल आर एक्ट के तहत इस प्रकार के निर्णय करने का कोई अधिकार नही था इस प्रकार का निर्णय मात्र अधिघोषणा के दावे में ही हो सकता था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर और निर्णय पारित किया है। सेटलमेन्ट विभाग ने मौका देखकर और मौके अनुसार ही नक्शा बनाया था मौके पर जहाँ होकर रास्ता चालू था उसे रास्ता अंकित किया था अधिनस्थ न्यायालय ने बिना मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये बिना व बिना नये पुराने रास्ते एवं रेस्पोडेन्ट की जमीन की नाप रिपोर्ट मंगवाये बिना व यह तय किये बिना कि नक्शे में कौन कौन से हिस्से में कहां कहां गडबडी की है इसकी जॉच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट का रकबा नये पुराने नंबरों के हिसाब से नये नंबरो का रकबा बढ़ा था जो रकबा बढ़ा था वो कहा से बढ़ा था इसकी कोई जॉच नही की और जो नया नक्शा बनाया था वह नया नक्शा 1.10 है० का बनाया था उस 1.10 है0 के नक्शे में जमीन और जोडी है और उस नक्शे में जगीन काटी नहीं तो नक्शा तो 1.10 से ज्यादा का हो गया मौके पर कोई पाटोल बनी हुई नहीं है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय अधीनस्थ न्यायायल उपखण्ड अधिकारी महवा दिनांक 07.01.2010 अपीलान्ट प्रभावित व्यक्ति पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाये बिना व सूनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। इसलिये अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी सर्वप्रथम दिनांक 02.08.2019 को अपीलान्ट अमरसिह व बत्तीलाल अपनी भूमि खसरा नंबर 762 पर थे कि रेस्पो नंबर 1 लगा० 3 ने अपीलान्ट को धमकी दी कि तुम्हारी भूमि खसरा नबर 762 में से हमने दुरूस्ती करवाकर भूमि हमारे नाम लगवा ली है अब हम हमारे दुरूस्त हुए नये नक्शे अनुसार भूमि नपवाकर तुम्हे बेदखल करेगे और तुम्हारे आवागमन के रास्ते को बंद करेगे तो अपीलान्ट ने कहा कि हमारा रास्ता कैसे बंद कर सकते हो तथा हमारी भूमि मे से भूमि कटवाकर तुम्हारे नाम कैसे लगवा ली कि उक्त लोगो ने धमकी दी कि हमने उपखण्ड अधिकारी से निर्णय करवाकर और तुम्हारे नक्शे मे से भूमि की तरमीम हमारे नाम करवा ली है और अब हम नये दुरूस्त नक्शे अनुसार भूमि नपवाकर तुम्हे मौके से बेदखल करेगे और तुम्हारे रास्ते को बंद करेगे करना हो सो कर लेना अपीलान्ट ने उन्हे बडी मुश्किल समझा बुझाकर भेजा तथा पटवारी हल्का से जानकारी की तो मालूम पड़ा कि हमारे 762 के नक्शे में से भूमि काटकर गलत तरीके से रेस्पोडेन्ट के नाम लगा दी है तो पटवारी से पूछा कि कैसे हुआ तो पटवारी ने बताया है कि एस. डी. ओ. कोर्ट से फैसला होकर हुआ है उसकी नकल कोर्ट से मिलेगी तब अपीलान्ट अमरसिंह व बत्तीलाल ने अन्य अपीलान्ट को बताया तथा उक्त एस. डी. ओ. के निर्णय नकल हेतु दिनांक 5.08.2019 को एस.डी.ओ. कोर्ट महवा गये तो उन्होने पत्रावली दौसा जाना बताया तब दौसा आये तथा उक्त मुकदमें के निर्णय बात मालूम किया तो जानकारी में आया कि दिनांक 7.01.2010 को उपखण्ड अधिकारी महुवा ने निर्णय कर रखा है तब उक्त निर्णय की नकल हेतु दिनांक 5.08.2019 को आवेदन पत्र पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 6.08.2019 को मिली तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी उक्त निर्णय अवैध अमान्य व प्रभावशून्य निर्णय है ऐसे निर्णय की अपील करने की कोई मयाद नही होती है किन्तु फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मयाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मयाद पेश कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा फरमाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण खसरा नंबर 762 वाके ग्राम समलेटी के सहखातेदार व काबिज काश्तकार है निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा दिनांक 7.01.2010 अपीलान्ट प्रभावित व्यक्ति पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाये बिना व सूनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना पारित किया गया है इसलिये अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी सर्वप्रथम दिनांक 2.08.2019 को अपीलान्ट अमरसिह व बत्तीलाल अपनी भूमि खसरा नंबर 762 पर थे कि रेस्पो नंबर 1 लगा० 3 ने अपीलान्ट को धमकी दी कि तुम्हारी भूमि खसरा नबर 762 मे से हमने दुरूस्ती करवाकर भूमि हमारे नाम लगवा ली है अब हम हमारे दुरूस्त हुए नये नक्शे अनुसार भूमि नपवाकर तुम्हे बेदखल करेगे और तुम्हारे आवागमन के रास्ते को बंद करेगे तो अपीलान्ट ने कहा कि हमारा रास्ता कैसे बंद कर सकते हो तथा हमारी भूमि मे से भूमि कटवाकर तुम्हारे नाम कैसे लगवा ली उक्त लोगो ने धमकी दी कि हमने उपखण्ड अधिकारी से निर्णय करवाकर और तुम्हारे नक्शे मे से भूमि की तरमीम हमारे नाम करवा ली है और अब हम नये दुरूस्त नक्शे अनुसार भूमि नपवाकर तुम्हे मौके से बेदखल करेगे और तुम्हारे रास्ते को बंद करेगे करना हो सो कर लेना अपीलान्ट ने उन्हे बडी मुश्किल समझा बुझाकर भेजा तथा पटवारी भूमि काटकर गलत तरीके से रेस्पो के नाम लगा दी है तो पटवारी से पूछा कि कैसे हुआ तो पटवारी ने बताया है कि एस डी ओ कोर्ट से फैसला होकर हुआ है उसकी नकल कोर्ट से मिलेगी तब अपीलान्ट अमरसिंह व बत्तीलाल ने अन्य अपीलान्ट को बताया तथा उक्त एस डी ओ के निर्णय नकल हेतु दिनांक 5.08.2019 को एस डी को कोर्ट महवा गये तो उन्होने पत्रावली दौसा जाना बताया तब दौसा आये तथा उक्त मुकदमें के निर्णय बबात मालूम किया तो जानकारी में आया कि दिनांक 7.01.2010 को उपखण्ड अधिकारी महुवा ने निर्णय कर रखा है तब उक्त निर्णय की नकल हेतु दिनांक 5.08.2019 को आवेदन पत्र पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 6.08.2019 को मिली तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी अपीलान्ट उक्त निर्णय से प्रभावित पक्षकार है और उक्त आदेश की श्रीमान के समक्ष अपील पेश करना चाहते है जिसकी श्रीमान के द्वारा इजाजत दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट को निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2010 के विरूद्ध अपील पेश करने की इजाजत प्रदान करने की कृपा करें

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महुवा दिनांक 7.01.2010 जो मुकदमा संख्या 62/09 अनुवानी खिल्ली बनाम स्टेट आफ राजस्थान प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 10 ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 3, 5 से 10 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महुवा जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट बाबत् दुरूस्ती कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 773 रकबा 0.22 ऐयर, ख.नं. 774 रकबा 0.14 ऐयर, ख.नं. 775 रकबा 0.14 ऐयर, ख.नं. 776 रकबा 0.25 ऐयर, ख.नं. 777 रकबा 0.28 ऐयर,. ख.नं. 772 रकबा 0. 07 ऐयर, कुल किता 6 रकबा 1.10 हैक्टेयर वाके ग्राम समलेटी तहसील महवा जिला दौसा में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। जो पेशशुदा मौजूदा जमाबन्दी व ट्रेस से स्पष्ट है उक्त आराजीयात का साबिक ख.नं. सैटिलमेन्ट से पूर्व 199 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा था। आराजीयात के लगेवा ही सडक की ओर ख0नं0 771 है जो साबिक ख0नं0 771 है जो साबिक खं0नं0 198 से बना है जो भी प्रार्थी खिल्ली पुत्र हरी के खातेदारी व कब्जे का है। सैटिलमेन्ट से पूर्व ट्रेस बिल्कुल स्पष्ट व समानान्तर था महवा तहसील में कुछ वर्ष पूर्व भूमियों का सेटिलमेन्ट हुआ था जिसमें ख0नं0 199 को जाने का रास्ता ट्रेस में उत्तरी कोने पर उपर दर्शाया हुआ था, जो नये ट्रेस में सैटिलमेन्ट वालों ने गायब कर दिया तथा ख0नं0 198 साबिक के नीचे करीब एक गट्ठा चौडा रास्ता नेशनल हाइवे से ख0नं0 198 के कोने तक आकर ब्लॉक था वहां 2 गह पाटोर पोश प्रार्थी नं. 1 की चढी हुई है फिर भी नये ट्रेस में ख0नं0 773 में पश्चिमी कोने तक रास्ता बढाकर दर्शा दिया है। तथा पूर्व रास्ते को प्रार्थीगण के खेत ख0नं0 771 व 773 की सीमा में घुसाकर दर्शा दिया है। तथा ख0नं0 772 की स्थिति बदल कर ख0नं0 771 में दर्शा दी है जो कतई गलत है। पूर्व ट्रेस ख0नं0 198 व 199 के मुताबिक नया ट्रेस बिलकुल भिन्नता लिये है। जो साबिक व मौजूदा ट्रेसों से स्पष्ट है नये ट्रेस के मुताबिक प्रार्थीगण के खेतों का रकबा व सीमा कम पड रही है जबकि मौके पर भूमियां की स्थिति यथावत है महज ट्रेस में ही गडबडी है। रास्ता प्रार्थीगण के खेतों के सटेवा नीचे था, रास्ते को खेतों में दर्शा दिया है। कानूनन भी सैटिलमेन्ट कर्मचारियों को किसी खातेदार की खातेदारी व ट्रेस में बिना खातेदार की सुनवाई नोटिस के, व जांच किये बिना तथा किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना परिवर्तन करने का अधिकार नही है। उन्होनें मनमाने तरीके से बिना जांच किये उक्त परिवर्तन किये है। जो कानूनी तौर पर गलत है। तथा काश्तकारों में भ्रम व विवाद पैदा कर सकता है। जिसे दुरूस्त फरमाया जाना जरूरी है। अतः प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती अर्न्तगत धारा 136 लै0रे0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि आ0ख0नं0 772, 773, 774, 775, 776, 777 वाके ग्राम समलेटी का मौजूदा (वर्तमान) ट्रेस साबिक ट्रेस ख0नं0 198, 199 के मुताविक यथावत पूर्व की भांति दुरूस्त करने के अप्रार्थी तहसीलदार जी महवा को आदेश प्रदान करें। तथा दुरूस्ती हेतु तहरीर जारी फरमाने की कृपा करें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार करते हुये ग्राम समलेटी तहसील महवा की भूमि गत खसरा नम्बर 198 व 199 के ट्रेस को दुरूस्त करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2010 पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2010 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2010 की जानकारी दिनांक 02.08.2019 को होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा द्वारा राजस्व रिकार्ड, वर्तमान नक्शा ट्रेस, गत नक्शा ट्रेस एवं पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार महवा के जवाब दिनांक 17.12.2009 के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार करते हुये ग्राम समलेटी तहसील महवा की भूमि गत खसरा 198 व 199 के गत नक्शा ट्रेस के अनुसार ही उससे बनाये गये नवीन नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करने के आदेश दिये गये हैं। जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2010 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2010 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कुछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 22.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर